# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या 116/2017**

1. निशान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरमनदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता — वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक :– 24.06.2017**

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15, 16 (प्रत्येक में 0.228 हैक्टर), 17 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 25 (0.228 हैक्टर) कुल 3.087 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 एच. बड़ा के खाता संख्या 4/4 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी शादी शुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :–

| बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता | रकबा का विवरण |
|---|---|
| निशान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील श्रीगंगानगर। | चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15 (0.228 हैक्टर) = 0.607 हैक्टर नहरी कृषि भूमि |
| महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील श्रीगंगानगर। | मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 16 (0.228 हैक्टर), 17 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 25 (0.228 हैक्टर) = 2.480 हैक्टर नहरी |



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि में से खाता संख्या 4 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 0.607 हैक्टर कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई । प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त बंटवारा में कोई कृषि भूमि नहीं दी गई क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आय से चक 8 एच बड़ा की 0.557 हैक्टर कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 30.09.2016 को खरीद करके दी हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 हरमनदीप सिंह मालिक काबिज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 06.05.2017 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. चक 8 एच. बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 9 की 3.087 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15(0.228 हैक्टर) = 0.607 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी (निशान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) की घोषित की जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री विजयसिंह भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार ........... 3

कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 9 की 3.087 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15 (0.228 हैक्टर) = 0.607 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी (निशान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) को दी हुई है।

अतः चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 9 की 3.087 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15 (0.228 हैक्टर) = 0.607 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी (निशान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15, 16 (प्रत्येक में 0.228 हैक्टर), 17 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 25 (0.228 हैक्टर) कुल 3.087 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे से वादी अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाया गया

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 4/4 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र नन्द सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 9 की 3.087 हैक्टर कृषि भूमि में से किला नम्बर 13/2 (0.126 हैक्टर), 14 (0.253 हैक्टर), 15 (0.228 हैक्टर) = 0.607 हैक्टर भूमि का वादी निशान सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

लगातार .................. 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.)